प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चौंतीस '

[6/12/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1572]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 1572
माननीय विधायक - पं. रमेश दुबे
बैठक दिनांक - 6.12.16

1/2

परिशिष्ट
~~प्रपत्र 'अ'~~

विधानसभा सत्र दिसम्बर–2016 बैठक दिनांक 06.12.2016

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक : 1572 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक पं. रमेश दुबे

माननीय प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रेषित पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	पत्र क्रमांक व दिनांक	विषय / शिकायत	कार्यवाही / निराकरण
1	1564 दिनांक 12.10.16	विद्युत देयकों में बरती जा रही लापरवाही व अनियमितता से विद्युत उपभोक्ताओं के हो रहे आर्थिक शोषण से उत्पन्न असंतोष व आक्रोश के संबध में	कार्यपालन अभियंता अमरवाड़ा द्वारा जांच कर अवगत कराया गया है कि पूर्व मीटर रीडर द्वारा रीडिंग डायरी में त्रुटिपूर्ण रीडिंग का अंकन किये जाने के कारण कम यूनिट के बिल जारी किये गए थे । माह अक्टूबर 2016 में वर्तमान में कार्यरत मीटर रीडर द्वारा मीटर की वास्तविक खपत रीडिंग डायरी में अंकित की गई एवं तदनुसार ही बिल जारी किये गए । रीडिंग में अंतर होने के कारण अधिक राशि के देयक जारी हुए हैं । कार्यपालन अभियंता, अमरवाड़ा द्वारा पूर्व में कार्यरत मीटर रीडर श्री कमलेश वर्मा द्वारा मीटर रीडिंग लेने में अनियमितता बरतने पर उनका अनुबंध निरस्त कर दिया गया है । तदानुसार कनिष्ठ अभियंता कुंडा द्वारा दिनांक 21.11.16 को उपभोक्ता श्री निर्बल मन्नु चमार को राशि रूपये 1596/– एवं श्री फकीरचंद मन्नु चमार को राशि रूपये 1507/– का समायोजन से कर दिया गया है । तत्संबंध में अधीक्षण अभियंता, छिंदवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक 6048 दिनांक 23.11.2016 के माध्यम से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है।(~~छाया प्रति प्रपत्र–"अ" संलग्न है~~)
2	1636 दिनांक 29.10.16	विद्युत देयकों में बरती जा रही लापरवाही व अनियमितता से विद्युत उपभोक्ताओं के हो रहे आर्थिक शोषण से उत्पन्न असंतोष व आक्रोश के संबंध में	श्री बिसराम निंतासी सिरेगांव को 30 यूनिट खपत दर्शाकर 909/– का विद्युत देयक प्रदान करने के संबंध में लेख किया गया है– कार्यपालन अभियंता अमरवाड़ा द्वारा जांच कर अवगत कराया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ए.पी.एल. उपभोक्ताओं को नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की योजनांतर्गत उपभोक्ता को दिनांक 15.09.2016 को नवीन विद्युत कनेक्शन मात्र 501/– स्टेम्प चार्ज जमा करने के उपरान्त प्रदाय किया गया जिसका सर्विस क्रमांक 72–17– 1935896 है। इस योजना के तहत सर्विस कनेक्शन चार्ज, सुरक्षा निधि एवं संयोजन सामग्री की लागत राशि का भुगतान 6 मासिक किश्तों में किया जाना है तदनुसार ही बिल में 85/– सुरक्षा निधि एवं सर्विस कनेक्शन चार्ज आदि हेतु 603/– अन्य प्रभार दिया गया है। चूंकि उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन के समय सामग्री स्वयं दी गई है किन्तु कम्प्यूटर में प्रोग्राम अनुसार बिल में राशि जोड़ दी गई है, अतः अन्य प्रभार की राशि रूपये 603/– की मासिक किश्तों का समायोजन उपभोक्ता श्री विश्राम घूडो वर्मा को कर दिया गया है । तत्संबंध में अधीक्षण अभियंता (संचा–संधा), छिंदवाड़ा द्वारा पत्र क्र. 5902, दि. 18.11.16 के माध्यम से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है ।(~~छाया प्रति प्रपत्र–"ब" संलग्न है~~)
3	1637 दिनांक 29.10.16	विद्युत देयकों में बरती जा रही लापरवाही व अनियमिताता से विद्युत उपभोक्ताओं के हो रहे आर्थिक शोषण से उत्पन्न असंतोष व आक्रोश के संबध में	उक्त पत्र का प्रत्युत्तर कार्यपालन अभियंता अमरवाड़ा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2900 दिनांक 08.11.2016 एवं सहायक अभियंता चौरई द्वारा उनके पत्र क्रमांक 237 दिनांक 17.11.2016 के माध्यम से माननीय विधायक महोदय, चौरई को दिया गया है एवं अन्य प्रभार की राशि रूपये 603/– की मासिक किश्तों का समायोजन उपभोक्ता श्री विश्राम घूड़ो वर्मा को कर दिया गया है । (~~छाया प्रति प्रपत्र–"स" संलग्न है~~)

..2.

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उप महाप्रबंधक (कार्य–ए डी बी)
म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

2/2

प्रपत्र–'अ'

विधानसभा सत्र दिसम्बर–2016 बैठक दिनांक 06.12.2016

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक : 1572 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक पं. रमेश दुबे

माननीय प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रेषित पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	पत्र क्रमांक व दिनांक	विषय	निरांकरण
4	1506 दिनांक 03.10.16	मीटर रीडिंग से अधिक का विद्युत देयक प्रदान किये जाने की जांच के संबंध में	कनिष्ठ अभियंता चौरई द्वारा उनके पत्र क्रमांक 197 दिनांक 17.11.2016 के द्वारा माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है कि मीटर रीडर द्वारा गलत मीटर रीडिंग के कारण श्री सुरेश वर्मा को अधिक खपत का देयक जारी किया गया था जिसे संशोधित कर वर्तमान खपत के अनुसार 13 यूनिट का 94/–रूपये का देयक जारी किया गया । (छाया प्रति प्रपत्र–"द" संलग्न है ।)
5	1397 दिनांक 09.09.16	विद्युत खपत से अधिक बिल प्रदान किये जाने की जांच के संबंध में	सहायक अभियंता चौरई द्वारा उनके पत्र क्रमांक 239 दिनांक 17.11.2016 के द्वारा माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है कि मीटर रीडर द्वारा गलत मीटर रीडिंग के कारण श्री सुरेश वर्मा को अधिक खपत का देयक जारी किया गया था जिसे संशोधित कर वर्तमान खपत के अनुसार 13 यूनिट का 94/–रूपये का देयक जारी किया गया । (छाया प्रति प्रपत्र–"इ" संलग्न है ।)

उप महाप्रबंधक (कार्य–ए डी बी)
म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल